भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2342

(शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

एनसीएलटी के अंतर्गत मामले

2342. कर्नल सोनाराम चौधरीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) देश में अनेक बड़ी कंपनियों के विरुद्ध चल रहे मामलों पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या विगत चार वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ऋण के कारण वित्तीय घाटे के कारण कंपनियों का विलय/अल्प-अधिग्रहण हुआ है और यदि हां, तो इसके कारण कीमतों पर पड़े प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): 31.01.2018 की स्थिति के अनुसार एनसीएलटी में विलयन और समामेलन के 1630 मामलों, दिवाला के 2511 मामलों और कंपनी अधिनियम, 2013 की विभिन्न धाराओं के अधीन 4932 मामलों सहित कुल 9073 मामलों पर विचार किया जा रहा है। कंपनियां, जो इन मामलों में पक्ष हैं, को छोटी या बड़ी कंपनी के रूप में श्रेणीकृत नहीं किया गया है।

(ख): कंपनियों का विलयन और अधिग्रहण अनेक कारणों से किया जाता है। तथापि, बैंक ऋण के कारण वित्तीय कमी से संबंधित अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

*****